दिनांक-1जनवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

उड़नदस्ता की टीम ने 170 बोरी पानी पाउच किया जप्त , लगाया जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने वृंदानगर , कोहका रोड, राधिका नगर, स्मृतिनगर, दक्षिण गंगोत्री सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित पानी पाउच तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ तथा दुकान का सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही करते हुए कुल 16,200 रूपए का अर्थदण्ड वसूलते हुए साथ ही दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी गई। निगम क्षेत्रांर्गत विभिन्न व्यापारियों द्वारा प्रतिबंधित कैरी बैग उपयोग करते पाए जाने उसे जप्त कर जुर्माना वसूला गया! नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 17 वृंदानगर, वार्ड 16 कुरूद, कोहका रोड, वार्ड 09 पुरानी बस्ती कोहका , राधिका नगर, स्मृतिनगर, दक्षिण गंगोत्री क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित पानी पाउच व प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों , बिना लाइसेंस व्यवसाय करने , सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही की। नालियों पर कचरा , सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा विभिन्न व्यवसायियों से 16,200 रूपए का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की दुकान का सामान फैलाकर सड़क बाधा न करे , प्रतिबंधित पानी पाउच, प्लास्टिक, डिस्पोजल व कैरी बैग विक्रय न करें अन्यथा नगर पालिक अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जा सकती है। की।

जनसम्पर्क अधिकारी